हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज		अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.12/23	अधिवक्तागण हड़ताल पे होने के कारण पत्रावली आइंदा दिनांक 10/4/23 को पेश हो।	
10/4/23	पत्रावली दिनांक 27.4.23 को पेश हो	
27.4.23	पत्रावली पेश। वादी अधिवक्ता उप0। विभाजन [illegible] प्राप्त [illegible] शामिल पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विभाजन उपरोक्तानुसार फाइनल डिक्री जारी किया जाए ताकि पक्षों को उपरोक्त जांच के तहत आराजियात में दर्ज करवाया जा सके। विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने व पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। अधिवक्ता की बहस सुनी गई। तदनुसार फाइनल डिक्री कि जावे पत्रावली फैसल शुमार हो दा0 [signature]	

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर सेड़वा मुकाम सेड़वा जिला बाड़मेर
व इजलास श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. आशाराम पुत्र प्रभूराम 2. लीलाराम पुत्र मोटाराम जातियान कलबी निवासी हरमूतलोट, हाल सांवा तहसील धनाऊ जिला बाडमेर		1. प्रकाश पुत्र गोरधनराम जाति विश्नोई निवासी बुरहान का तला 2. भाखरराम पुत्र गोरधनराम जाति विश्नोई तहसील सेडवा जिला बाडमेर 3. शाखा प्रबंधक एस. बी. आई बैंक, शाखा सेडवा 4. राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार धनाऊ जिला बाड़मेर।

मुकदमा नम्बर : 156 / 2022
दावा बाबत् : राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 RT Act

आशाराम बनाम प्रकाश वगैरा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रू–ब–रू व बहाजरी **श्री करनाराम** मनजानिव राज पेरोकार तहसीलदार धनाउ मनजानिव मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार धनाउ द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिनांक ~~10.12.~~26.4. 2023 को प्रस्तुत किया गया। अतः विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिकी निम्न प्रकार की जाती है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	ग्राम	ख. नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	आशाराम पुत्र प्रभुराम हि. 1/2 लीलाराम पुत्र मोटाराम हि. 1/2 जाति कलबी सा. हरमूतलोटा बाडमेर	सांवा	644 / 153	5.2366 हैक्टेयर	बा.सो.	1.00	हरा
2	प्रकाश पुत्र गोरधनराम हि. 1/2 भाखरराम पुत्र गोरधनराम हि. 1/2 जाति विश्नोई सा. बुरहान का तला रहन:– भाखरराम का हि. एस.बी. आई शाखा सेडवा	संवा	644 / 153	5.2366 हैक्टेयर	बा.सो.	0.99	केसरिया

तहसीलदार धनाऊ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव की पालना अनुरूप विभाजन की अन्तिम डिकी नक्शे मे अलग–अलग रंग दर्शाये अनुसार जारी की जाती है। उपरोक्तानुसार

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

खातेदार के हिस्से की आराजी का नक्शा लट्टा में तरमीम करने एवम् पृथक पृथक खातेदार में दर्ज करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे।

बसग्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक .... को जारी की गई।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1 वाद के लिए स्टाम्प		शाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्श के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यह		आदेशिका की तामिल	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

(पीठासीन अधिकारी : श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :–156 / 2022

दावा बाबत् :–राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. आशाराम पुत्र प्रभूराम 2. लीलाराम पुत्र मोटाराम जातियान कलबी निवासी हरमूतलोट, हाल सांवा तहसील धनाऊ जिला बाडमेर		1. प्रकाश पुत्र गोरधनराम जाति विश्नोई निवासी बुरहान का तला 2. भाखराराम पुत्र गोरधनराम जाति विश्नोई तहसील सेडवा जिला बाडमेर 3. शााखा प्रबंधक एस. बी. आई बैंक, शाखा सेडवा 4. राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार धनाऊ जिला बाड़मेर।

अधिवक्तागण – वादीगण वकील – **श्री करनाराम**

प्रतिवादीगण वकिल

–:निर्णय :–

दिनांक

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा दिनांक 09.11.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की गयी थी जिसके संर्दभ में तहसीलदार धनाऊ के पत्रांक / भू.अ. / 2023 / 690 दिनांक 26.04.2023 द्वारा मौजा सांवा पटवार हल्का सांवा तहसील धनाऊ के खेत खसरा नम्बर 644 / 153 रकबा 10.4732 हैक्टेयर किस्म बा.सो. का विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। वादी वकील उप0। वादी वकील ने तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया है। तहसीलदार धनाऊ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो विधि संवत् रूप से तैयार किया गया। सभी पक्षकारान को सूचना के नोटिस जारी किये गये एवं मौके पर उप0 होने हेतु पाबंद किया गया। वकील वादी ने विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनने हेतु निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। वादीगण का वाद माफिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर खातेदारान के सामने अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है।

सहायक कलक्टर

(SDO) सेड़वा

क्र. सं.	नाम खातेदारान	ग्राम	ख. नं.	रकबा	किस्म	लगान	वरंग
1	आशाराम पुत्र प्रभुराम हि. 1/2 लीलाराम पुत्र मोटाराम हि. 1/2 जाति कलबी सा. हरमूतलोटा बाडमेर	सांवा	644/153	5.2366 हैक्टेयर	बा.सो.	1.00	हरा
2	प्रकाश पुत्र गोरधनराम हि. 1/2 भाखराराम पुत्र गोरधनराम हि. 1/2 जाति विश्नोई सा. बुरहान का तला रहनः– भाखराराम का हि. एस.बी. आई शाखा सेडवा	संवा	644/153	5.2366 हैक्टेयर	बा.सो.	0.99	केसरिया

तहसीलदार धनाऊ को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 26.04.2023 निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिले दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलेक्टर
(SDO) सेड़वा